तारीख हुक्म	न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा, जिला–डूंगरपुर नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 1052/2023 राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक : 17.02.2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त **प्रकाश** के न्यायालय में आत्मसर्पण किये जाने से पत्रावली सिगेह से तलब की गई। अधिवक्ता अभियुक्त **श्री अनिरूद्धसिंह चुण्डावत** उपस्थित। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप बनना पाया जाने से, अभियुक्त को उक्त अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को स्वीकार कर अन्वीक्षा नहीं चाही। साथ ही लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना–पत्र पेश किया व प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त **प्रकाश पिता कांतीलाल, निवासी बुचिया बड़ा, पुलिस थाना सरोदा, जिला डूंगरपुर** को अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप मे दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(हरिश मेनारिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाडा जिला डूंगरपुर

सजा व परिवीक्षा के प्रश्न पर सुनने एवं पत्रावली और विधि का अवलोकन करने के बाद न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं है और इस आशय का अभियुक्त ने शपथ पत्र पेश किया है। अभियुक्त से बरामदशुदा शराब की मात्रा भी अधिक नहीं है। अतः अपराध की प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त **प्रकाश पिता कांतीलाल, निवासी बुचिया बड़ा, पुलिस थाना सरोदा, जिला डूंगरपुर** को दोषसिद्ध अपराध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में तत्काल किसी सजा से दण्डित नहीं कर अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 10,000 रूपये का मुचलका व इसी कदर राशी की एक जमानत दो वर्ष की अवधि के लिये इन शर्तो की पेश कर तस्दीक करावे कि अभियुक्त समाज मे शान्ति व सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत **300/–**रूपये बतौर अभियोजन व्यय जमा करायेगा।

प्रकरण में जब्तशुदा शराब बाद गुजरने मियाद अपील रिवीजन अवधि नियमानुसार नष्ट किये जाने बाबत् सम्बन्धित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। अभियुक्त का जारीशुदा गिरफ्तारी वारंट अदम तामील मंगाया जावे।

अभियुक्त ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 के तहत जमानत मुचलके पेश किये, जो बाद जांच तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये। अभियुक्त ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत अभियोजन व्यय की राशि जमा कराने अवसर चाहा, जो दिया गया।

प्रकरण फैसल शुमार हो। वास्ते जमा होने अभियोजन व्यय दिनांक ..... को पेश हो।

(हरिश मेनारिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाडा जिला डूंगरपुर